सी.आर.एम.पी. क्रमांक– 687/2015
ए.एफ.आर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आपराधिक विविध याचिका क्रमांक–687/2015

सौरभ पटेल पिता श्याम पटेल उम्र–33 वर्ष,
कार्य–सहायक अध्यापक (पंचायत),
निवासी– राजीव नगर, गली नंबर–2, कोटारा
रोड, रायगढ़ तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.)

.....याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट,
   रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)
2. थाना प्रभारी, पुलिस थाना अजाक,
   जिला रायगढ (छ.ग.)
3. कु. विनीता एक्का, सहायक शिक्षक (पंचायत),
   शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय, कुसमुरा,
   निवासी–रामभाटा, संजय मैदान, कुसमुरा,
   थाना सिटी कोतवाली, रायगढ़ (छ.ग.)

.....उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

याचिकाकर्ता के लिए– श्री पंकज सिंह, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक– 1 एवं 2 राज्य के लिए– श्री अर्जित तिवारी, पैनल वकील।
उत्तरवादी क्रमांक–3 के लिए– श्री राज कुमार पाली, अधिवक्ता।

.....

माननीय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
बोर्ड पर आदेश

दिनांक 29.09.2022

01– भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–482 के तहत यह याचिका राज्य बनाम सौरभ के मामले में अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में, '1989 का अधिनियम') रायगढ़ के विशेष न्यायाधीश (अत्याचार) के न्यायालय में लंबित विशेष

प्रकरण क्रमांक–24/2015 को निरस्त करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

02– एकमात्र याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक–1 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा–294, 506 भाग–2, 323 तथा 1989 के अधिनियम की धारा–3(1)(x) (जिसे वर्तमान दिनांक 26.01.2016 से अधिनियम की धारा–3(1)(r) के रूप में संशोधित किया गया है) के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप–पत्र दायर दिया गया था। अभिलेख के अनुसार, प्रासंगिक समय पर यह स्वीकृत स्थिति रहा है कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक–3 दोनों ही शासकीय कन्या, प्राथमिक विद्यालय, कुसमुरा में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह कि दिनांक 21.11.2014 को प्रातः 11:30 बजे याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक स्थान पर उत्तरवादी क्रमांक–3 के साथ गाली–गलौज किया, जिससे उसे क्षोभ कारित हुआ और इस प्रकार उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपराध कारित किया तथा स्वेच्छा चोट भी पहुंचाकर जान से मारने की धमकी भी दी और इस प्रकार उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 भाग–2 के तहत अपराध किया। अंत में अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि उक्त तिथि को याचिकाकर्ता ने जानबूझकर पीड़िता/उत्तरवादी क्रमांक–3, जो अनुसूचित जनजाति (एस.टी) की सदस्य है, का अपमान किया और उसे धमकाया, ताकि उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सके और इस तरह अधिनियम 1989 की धारा–3(1)(x) के तहत अपराध किया।

03– याचिकाकर्ता ने यह याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की है कि 1989 के अधिनियम की धारा–3(1)(x) के तथ्यों का पूर्णतः अभाव है, भले ही आरोप–पत्र में निहित आरोपों को उसके अंकित मूल्य पर प्रथम दृष्टया सत्य मान लिया जाए, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य लिखित शिकायतों में यह कहीं भी उल्लेखित नही है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक—3 अनुसूचित जाति की सदस्या थी और उसे आरोपी/याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर अपमानित या धमकाया गया था, वह भी अनुसूचित जाति की सदस्य होने के नाते उसे अपमानित करने के इरादे से और यह सब सार्वजनिक रूप से हुआ था। यहां तक कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 भाग—2 और 323 के तथ्य भी नही हैं और इसलिए शिकायत को निरस्त किया जाना चाहिए।

04— राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से जवाब पेश किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ यह भी कहा गया है कि आरोप—पत्र को निरस्त करने का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि संबंधित अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता स्थापित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है और आरोप—पत्र अपराध का संज्ञान लेने और अपराध के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने के बाद जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृष्टया, आरोप—पत्र अपराध के किए जाने का खुलासा करता है और इसलिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका निरस्त की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05— शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा भी जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ यह भी कहा गया है कि चूंकि दिनांक 14.07.2015 को आरोप तैयार किया गया हैं और भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत तत्काल याचिका दिनांक 22.07.2015 को आरोपों को खारिज किए बिना दायर की गई है, इसलिए वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है। जवाब में यह भी कहा गया है कि 1989 के अधिनियम की धारा—3(1)(x) के तत्व आरोप पत्र में उपलब्ध है, इसलिए याचिका को निरस्त करने का कोई मामला नहीं बनता है और याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

06— याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज सिंह

ने कहा कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक–3 दोनों ही प्रासंगिक समय पर उक्त विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और विद्यालय में कार्य करने के कारण उनके बीच पहले भी विवाद हुआ था और इस कारण से उस दिन उनके बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ जिसमें याचिकाकर्ता को भी चोट लगी है, हालांकि यह अभिलेख का हिस्सा नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी–5 के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को केवल कठोर और कुंद वस्तु से चोट लगी है और जिसकी पुलिस ने जांच नहीं की है और न ही अभिलेख में लाया है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि पुलिस शिकायत या उत्तरवादी क्रमांक–3 द्वारा दर्ज की गई शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक–3 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्य थी और उसे याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के इरादे से अलग–थलग किया गया था या धमकाया गया था। वह अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए **गोरीगे पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 1 तथा हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य 2** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 506 भाग–2 के तहत अपराध संज्ञेय अपराध नहीं है, इसलिए पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता था और अन्यथा भी, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 भाग–2 और 323 के तहत याचिकाकर्ता पर आरोप–पत्र दायर करने का कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए आरोप–पत्र निरस्त किया जाना चाहिए।

07– उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री अर्जित तिवारी ने कहा है कि राज्य ने उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा की गई शिकायत पर मामले की गहन जांच की है और उसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाद, याचिकाकर्ता के विरूद्ध कानून के अनुसार आरोप—पत्र दाखिल किया गया है, इस प्रकार, उपरोक्त अपराधों के लिए याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री निचली अदालत के समक्ष दायर की गई है, जिसका विधिवत संज्ञान लिया गया है और अब याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप भी तय किया गया है, इसलिए, याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

08— शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राज कुमार पाली ने कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप दिनांक 22.07.2015 को रिट याचिका दायर करने से बहुत पहले ही तय किया जा चुका है, लेकिन आरोप तय करने के आदेश पर सवाल नहीं उठाया गया है और वैसे भी, शिकायत में निहित आरोप 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(x) और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 भाग—2 और 323 के तहत अपराध का गठन करेंगे, इसलिए याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

09— उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री पाली द्वारा उठाई गई आपत्ति का जवाब देते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान वकील श्री सिंह ने कहा है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध दिनांक 14.07.2015 को आरोप तय किए गए थे और रिट याचिका दिनांक 22.07.2015 को दायर की गई थी, लेकिन उसके बाद दिनांक 03.08.2015 को आरोप तय करने का आदेश और आरोप की प्रतिलिपि याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर लाई गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता ने पहले ही पूरे आरोप पत्र पर सवाल उठाया था और आरोप तय करने के आदेश और आरोपों की प्रतिलिपि रिकार्ड पर लाकर आरोपों को रद्द करने की मांग की थी, ऐसे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 के तहत् इस याचिका की स्थिरता को प्रभावित नही करेगा।

10— मैंने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को श्रवण किया है और

उनके ऊपर दिए गए आपत्तिपूर्ण निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख को अत्यंत सावधानी से देखा है।

11— सर्वप्रथम, उत्तरवादी कंमाक 3 की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करना उचित होगा कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि दिनांक दिनांक 14.07.2015 के आरोप निर्धारण आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी, यद्यपि निरस्तीकरण याचिका दिनांक 22.07.2015 को प्रस्तुत की गई थी।

12— यह सही है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 14.07.2015 को आरोप तय होने के बाद दिनांक 22.07.2015 को निरस्तीकरण याचिका दायर की गई और इस याचिका में आरोप तय करने के आदेश पर विशेष रूप से सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद, आरोप तय करने का आदेश और याचिकाकर्ता के खिलाफ तय किए गए आरोपों को याचिकाकर्ता की ओर से दिनांक 03.08.2015 को इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर लाया गया। चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 के तहत् इस याचिका के माध्यम से पूरे आरोप—पत्र को रद्द करने को चुनौती दी थी और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र को भी बाद में रिकॉर्ड पर ाया गया था और उसने आरोप पत्र को तैयार करने के तथ्य को नही छिपाया है, इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय में, आरोपों पर विशेष रूप से सवाल न उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यह याचिका गैर—धारणीय नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13— पक्षकारों की ओर से उठाए गए निवेदनों की सत्यता का आकलन करने के लिए, अधिनियम 1989 (असंशोधित) की धारा 3(1)(x) पर ध्यान देना उचित होगाः —

"3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड—

(1) जो कोई भी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का

सदस्य न होते हुए,—(i) से (ix) xxxxxxxxx

(x) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित या डराता है;

(xi) से (xv) xxxxxxxxx

वह कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि छह माह से कम नही होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।''

14— 1989 के अधिनियम की धारा 3 को दिनांक 26.01.2016 से अधिनियम 1, 2016 द्वारा संशोधित किया गया और उसके बाद, इसे धारा 3 के रूप में क़ानून की किताब में लाया गया। अब, 1989 के अधिनियम की संशोधित धारा 3(1)(आर) में निम्नलिखित कहा गया है: —

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड** — (1) जो कोई भी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होते हुए, —

(क) से (क्यू) xxxxxxxxx

(आर) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के नियत से जानबूझकर अपमानित या डराता है;

(एस) से (जेड.सी) xxxxxxxxx

वह कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि छह माह से कम नही होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।''

15— 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत दंडनीय अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना आवश्यक है: —

(i) कि आरोपी–अपीलकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था;

(ii) शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा जानबूझकर अपमानित या धमकाया गया था;

(iii) ऐसा जानबूझकर किया गया अपमान या धमकी ऐसे सदस्य को '' अपमानित करने के इरादे से'' किया गया था; और

(iv) अपमानित करने के नियत से यह जानबूझकर अपमान या धमकी "सार्वजनिक दृश्य" के भीतर एक स्थान पर होना चाहिए।

16– उपरोक्त प्रावधान का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को गैर–अनुसूचित जाति या गैर–अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा अपमानित करने के नियत से जानबूझकर अपमान या धमकी दी जानी चाहिए और अपमान सार्वजनिक दृश्य में किसी स्थान पर किया जाना चाहिए। "अपमानित करने के नियत से जानबूझकर अपमान या धमकी देना" अभिव्यक्ति का उपयोग यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि अपराध का एक अनिवार्य घटक है और यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी को पता था कि पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की है और अपराध उसी कारण से किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17– अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(x) में प्रयुक्त शब्द 'जानबूझकर', 'अपमान' और 'अपमान' को अधिनियम 1989 में परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 3(1)(x) के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि जो कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझ कर अपमानित या धमकाता है। इस धारा में 'जानबूझकर', 'अपमान' और 'अपमान' शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन उन्हें अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। वेबस्टर

डिक्शनरी के अनुसार, 'इरादा' शब्द का अर्थ है किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना और 'जानबूझकर' का अर्थ है जानबूझकर किया गया कार्य। 'जानबूझकर' शब्द का प्रयोग इरादे से या इरादे से किए गए कार्य के संबंध में किया गया है, जिसका अर्थ है इरादे से गलत काम करना। कानून लेक्सिकन के अनुसार, कोई व्यक्ति जिसने अपनी घोषणा, कार्य या चूक से किसी दूसरे को किसी बात को सच मानने और उस विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, उसे क़ानून के अर्थ में 'जानबूझकर' ऐसा करने वाला माना जाना चाहिए। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, 'अपमान करना' का अर्थ है गाली, अभद्रता या अवमानना के साथ व्यवहार करना; अपमान करना, जैसे कि मुख्य झूठा कहना। किसी दूसरे को कार्य या शब्द द्वारा दिया गया घोर अपमान 'अपमान' कहलाता है। अपमान एक आलसी हमला है। अपमान की कल्पना करना अधिक आसान है, जहाँ अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, आम बोलचाल में 'अपमान' शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति की गरिमा को कम करना, उसे बहुत अपमानित करना, उसे विनम्र और गर्व से मुक्त करना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, 'अपमानित' का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपमानित, दीन—हीन स्थिति या मन की प्रवृत्ति का एहसास कराना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18— उपर्युक्त शब्दों की परिभाषाओं की पृष्ठभूमि में, उपरोक्त धारा के तहत अपराध को साबित करने के लिए, यह आवश्यक है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या डराने धमकाने का तत्व होना चाहिए और इसके लिए गवाह का साक्ष्य सुसंगत और विश्वसनीय होना चाहिए।

19— गोरीज पेंटैया (सु.प्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि सार्वजनिक दृश्य में किसी स्थान पर अपमानित करने के नियत से अभियुक्त द्वारा जानबूझकर अपमान या धमकी देना उक्त अपराध के

लिए एक आवश्यक घटक है और निम्नानुसार देखा गया है: –

"6. ... अधिनियम की धारा 3(1)(x) के मूल तत्वों के अनुसार, शिकायतकर्ता को यह आरोप लगाना चाहिए था कि अपीलकर्ता–अभियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था और उसे (उत्तरवादी कंमाक 3) को सार्वजनिक दृश्य में अपमानित करने के नियत से अभियुक्त द्वारा जानबूझकर अपमानित या धमकाया गया था। पूरी शिकायत में, कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता–अभियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था और उसने सार्वजनिक रूप सें उत्तरवादी कंमाक 3 को अपमानित करने के नियत से जानबूझकर अपमानित या धमकाया था। जब शिकायत में अपराध के मूल तथ्य गायब हैं, तो ऐसी शिकायत को जारी रखने की अनुमति देना और अपीलकर्ता को आपराधिक मुकदमे की जटिलताओं का सामना करने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से अनुचित होगा, जिससे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

20– इसके बाद, 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(x) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ''सार्वजनिक दृश्य'' पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वर्ण सिंह और अन्य बनाम राज्य के मामले में स्थायी वकील और अन्य के माध्यम से विचार किया गया और इसे निम्नानुसार माना गया: –

> **"28.** प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि प्रथम सूचनाकर्ता विनोद नागर को अपीलकर्ता 2 और 3 द्वारा अपमानित किया गया (उसे ''चमार'' कहकर) जब वह परिसर के गेट पर खड़ी कार के पास खड़ा था। हमारी राय में, यह निश्चित रूप से सार्वजनिक दृश्य के भीतर एक स्थान था, क्योंकि एक घर का गेट निश्चित रूप से सार्वजनिक दृश्य के भीतर एक स्थान है। यह एक अलग मामला हो सकता था यदि कथित अपराध किसी इमारत के अंदर किया गया होता, और वह सार्वजनिक दृश्य में भी नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालाँकि, यदि अपराध इमारत के बाहर किया जाता है, जैसे कि किसी घर के बाहर लॉन में, और लॉन को किसी व्यक्ति द्वारा बाउंड्री वॉल के बाहर सड़क या गली से देखा जा सकता है, तो लॉन निश्चित रूप से सार्वजनिक दृश्य में एक स्थान होगा। साथ ही, भले ही टिप्पणी किसी इमारत के अंदर की गई हो, लेकिन वहां कुछ आम लोग (केवल रिश्तेदार या मित्र नहीं) मौजूद हों, तब भी यह एक अपराध होगा, क्योंकि यह सार्वजनिक दृश्य में है। इसलिए हमें ''सार्वजनिक दृश्य के भीतर स्थान'' अभिव्यक्ति को ''सार्वजनिक स्थान'' अभिव्यक्ति के साथ भ्रमित नही करना चाहिए। एक स्थान एक निजी स्थान हो सकता है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक दृश्य के भीतर हो सकता है। दूसरी ओर, सार्वजनिक स्थान का अर्थ आमतौर पर वह स्थान होता है जो सरकार या नगर पालिका (या अन्य स्थानीय निकाय) या ग्राम सभा या राज्य के किसी निकाय के स्वामित्व में या पट्टे पर होता है, न कि निजी व्यक्तियों या निजी निकायों के स्वामित्वों में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि आज के संदर्भ में किसी व्यक्ति को "चमार" कहना भी आमतौर पर उसे अपमानित करने के नियत से जानबूझकर उसका अपमान करने के बराबर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता स्वर्ण सिंह ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ विनोद नागर का अपमान किया और उसने भी "चमार" शब्द का अपमानजनक अर्थ में इस्तेमाल किया। हालांकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि स्वर्ण सिंह ने सार्वजनिक रूप से इन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि स्वर्ण सिंह ने जब ये शब्द कहे थे, तब कोई भी आम आदमी मौजूद था या जिस जगह

पर उसने ये शब्द कहे थे, वह आम जनता द्वारा देखा जा सकने वाला स्थान था। इसलिए हमारी राय में अपीलकर्ता 1 के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है।

21. स्वर्ण सिंह (सुप्रा) में निर्धारित कानून के सिद्धांत का हितेश वर्मा (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों द्वारा पालन किया गया था और यह माना गया कि 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध के मूल तत्वों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता हैः "1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना या धमकी देना और 2) सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर।" उनके माननीय न्यायाधीशों द्वारा यह भी माना गया कि 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और धमकी देने के तत्व को इंगित करेगा। किसी व्यक्ति का सभी अपमान या धमकी अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीड़ित के कारण न हो। 1989 के अधिनियम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने पैराग्राफ 13 में निम्नानुसार माना हैः–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**13.** अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और धमकी देने का तत्व शामिल होगा। किसी व्यक्ति का सभी अपमान या धमकी अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीड़ित के कारण न हो। अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक

स्थितियों में सुधार करना है क्योंकि उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस प्रकार, अधिनियम के तहत अपराध तब माना जाएगा जब समाज के कमजोर वर्ग के किसी सदस्य पर अत्याचार किया जाता है।

''स्वर्ण सिंह (सुप्रा) के निर्णय पर गौर करते हुए उनके माननीय न्यायाधीशों ने निम्नानुसार निर्णय दिया है: –

"**14.** प्रावधान का एक अन्य मुख्य घटक "सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी भी स्थान" में अपमान या धमकी देना है। "सार्वजनिक दृश्य में स्थान'' के रूप में क्या माना जाना चाहिए, इस न्यायालय के समक्ष स्वर्ण सिंह और अन्य बनाम राज्य के माध्यम से स्थायी अधिवक्ता और अन्य (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में विचार के लिए आया था। न्यायालय ने "सार्वजनिक स्थान" और "सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी भी स्थान" के बीच अंतर किया था। यह माना गया कि यदि कोई अपराध भवन के बाहर किया जाता है, जैसे कि घर के बाहर लॉन में, और लॉन को किसी व्यक्ति द्वारा सड़क या गली से सीमा की दीवार के बाहर देखा जा सकता है, तो लॉन निश्चित रूप से सार्वजनिक दृश्य के भीतर एक स्थान होगा। इसके विपरीत, यदि टिप्पणी किसी इमारत के अंदर की जाती है, लेकिन कुछ आम लोग वहां मौजूद हैं (केवल रिश्तेदार या दोस्त नहीं) तो यह अपराध नहीं होगा क्योंकि यह सार्वजनिक दृश्य में नहीं है। न्यायालय निम्न प्रकार से कहा है :

"**28.** प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि प्रथम सूचनाकर्ता विनोद नागर को अपीलकर्ता 2 और 3 द्वारा अपमानित किया गया (उसे "चमार" कहकर) जब वह परिसर के गेट पर खड़ी कार के पास खड़ा था। हमारी राय में, यह निश्चित रूप से सार्वजनिक दृश्य के भीतर एक स्थान था, क्योंकि एक घर का गेट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निश्चित रूप से सार्वजनिक दृश्य के भीतर एक स्थान होता है। यह एक अलग मामला हो सकता था यदि कथित अपराध किसी इमारत के अंदर किया गया होता, और सार्वजनिक दृश्य में भी नहीं होता। हालांकि, अगर अपराध इमारत के बाहर किया जाता है जैसे कि घर के बाहर लॉन में, और लॉन को किसी व्यक्ति द्वारा बाउंड्री वॉल के बाहर सड़क या गली से देखा जा सकता है, तो लॉन निश्चित रूप से सार्वजनिक दृश्य के भीतर एक स्थान होगा। साथ ही, भले ही टिप्पणी किसी इमारत के अंदर की गई हो, लेकिन कुछ आम लोग वहाँ मौजूद हों (केवल रिश्तेदार या दोस्त नहीं) तब भी यह एक अपराध होगा क्योंकि यह सार्वजनिक दृश्य में है। इसलिए, हमें "सार्वजनिक दृश्य के भीतर स्थान" अभिव्यक्ति को "सार्वजनिक स्थान" अभिव्यक्ति के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। एक स्थान निजी स्थान हो सकता है लेकिन फिर भी सार्वजनिक दृश्य के भीतर हो सकता है। दूसरी ओर, सार्वजनिक स्थान का मतलब आमतौर पर एक ऐसा स्थान होता है जो सरकार या नगर पालिका (या अन्य स्थानीय निकाय) या गाँव सभा या राज्य के किसी निकाय के स्वामित्व में या पट्टे पर होता है, न कि निजी व्यक्तियों या निजी निकायों के स्वामित्व में हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22– **पाटन जामन वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में**, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने 1989 के अधिनियम (असंशोधित) की धारा 3(2)(अ) के तहत अपराध साबित करने के मुद्दे पर विचार करते हुए माना है कि अभियोजन पक्ष को मुकदमे में साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित करना होगा कि अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ इस आधार पर किया गया है कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। आगे यह माना गया है कि अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करने के लिए अलग से सबूत पेश करने होंगे कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता

उत्तरवादी क्रंमाक 3 की जाति पहचान के आधार पर अपराध किया है, जो वर्तमान मामले में गायब है।

23– अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(x) को आकर्षित करने और लागू करने के लिए, शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रंमाक 3 द्वारा स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन कोटरा रोड, रायगढ़ को दिनांक 21.11.2014 को की गई शिकायत पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया हैः –

प्रति,

थाना प्रभारी
कोतरा थाना रायगढ़ (छ.ग.)
विषयः– कार्यवाही करने बाबत्।
महोदय,

निवेदन है कि मै शा. कन्या प्रा. शाला कुसमुरा की प्रभारी प्रधान पाठक कु विनीता एक्का तथा अन्य कर्मचारी सौरभ पटेल है। सौरभ पटेल हमेशा मुझे आदिवासी बोल कर मानसिक प्रताडित करता है। और स्टाप के कागजात तथा चाबी भी गुमा दिया था कुछ बोलने पर मुझे गाली–गलौज धमकी देता है। मेरा कुछ बात नही मानता है। हमेशा ही अभद्र व्यवहार करता है। आज शुला के काम में हस्ताक्षर नहीं करूंगा कह कर गाली गलौज कर मुझे हांथ मुक्का से मारा पीटा है। अतः थाना प्रभारी से सक्त निवेदन है कि सौरभ पटेल पर कार्यवाही जल्द–जल्द की जावे।

पिता का नाम– अलेक सियुस एक्का
नाम विनीता एक्का
पता– रामभाटा संजय मैदान
स्कूल– शा. कन्या प्रा.शा. कुसमुरा
फोन– 9406055899

दिनांकः–21/11/14
गवाहः– 1/ स्कूल के बच्चे।
2/ रोसोईया
3/ महिला स्वसहायता समूह की अध्यक्ष
दसमति चौहान

24– इसके बाद शिकायकर्ता/उत्तरवादी क्रंमाक 3 ने वही शिकायत पुलिस अधीक्षक, रायगढ को दिनांक 12.12.2014 को दोहराई जिसके आधार पर उत्तरवादी क्रंमाक 3 के कहने पर दिनांक 17.03.2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। शिकायकर्ता/उत्तरवादी क्रंमाक 3 द्वारा पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को दिनांक 12.12.2014 को की गई शिकायत में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निम्नलिखित उल्लेख हैः—

प्रति,

श्रीमान राहुल भगत
पुलिस अधीक्षक
रायगढ़ (छ.ग.)

विषयः— आवेदिका विनिता एक्का द्वारा दिनांक 22.11.2014 को थाना अजाक एवं थाना कोतरा रोड में दिनांक 21.11.2014 को दर्ज शिकायत पर आज पर्यन्त तक अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किये जाने पर उक्त शिकायत पर आवश्यक आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने की अज्ञप्ति दिये जाने बाबत्।

महोदय,

यह कि आवेदिका विनिता एक्का सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर ग्राम कुसमुरा में कार्यरत है। यह कि वर्तमान में उक्त शाला में प्रभारी प्रधान पाठक की हैसियत से कार्यरत है। यह की आवेदिका घटना दिनांक 21.11.2014 को उक्त शाला में पदस्थ पंचायत शिक्षक सौरभ पटेल द्वारा विनिता एक्का द्वारा स्कूल के फंड में पैसा जमा करने हेतु आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करने का निवेदन करने पर आवेदिका को अपशब्दो का प्रयोग करते हुए अश्लील गालियों का उपयोग करते हुए जातिगत गालियॉ दी एवं आवेदिका के साथ हाथापाई करते हुए अभद्र व्यवहार किया गया। यह कि आवेदिका उक्त घटना से अत्यधिक भयभीत हो गयी। उक्त घटना घटित होने के तुरंत बाद आवेदिका द्वारा इस आशय की सूचना थाना प्रभारी कोतरा रोड को स्वयं पहुंच कर देने पर भी आवश्यक आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया वरन आवेदिका को शीघ्र सूचना देने का आश्वासन दिया गया। यह कि आवेदिका उक्त सूचना के इन्तजार पे आज पर्यनत तक करती रही एवं आवेदिका द्वारा दर्ज की गई शिकायत की प्रतिलिपि मांगे जाने पर भी आवेदिका को प्रदान नहीं किया गया। यह कि आवेदिका द्वारा इस आशय की सूचना थाना अजाक में 22.11.14 को भी इस आशय की सूचना दी गई। यह कि अजाक थाना द्वारा आवेदिका को सूचना की प्रतिलिपि प्रदान की गई परन्तु अभियुक्त सौरभ पटेल के खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रकरण आज तक दर्ज नहीं किया गया है यह कि आवेदिका आदिवासी समाज से तालुक रखती है एवं महिला होने के कारण आवेदिका उक्त घटना से अत्यधिक भयभीत है एवं घटना कारित करने वाला अभियुक्त सौरभ पटेल गांव का प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर अभियुक्त के खिलाफ शीघ्र ही कार्यवाही नहीं की जायेगी तो आवेदिका को अन्य किसी भी प्रकार के घटना का कारित किया जा सकता है।

अतएव श्रीमान से निवेदन है कि आवेदिका के साथ हुए मारपीट एवं अश्लील गाली गलौज एवं जातिगत दुष्प्रेरण के खिलाफ आवश्यक आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कृपा करें।

स्थानः रायगढ़
दिनांकः 12.12.2014

आवेदिका

संलग्न प्रपत्र— थाना अजाक को घटना की सूचना दिये जाने की प्रतिलिपि संलग्न है।

कु. विनिता एक्का.

25— इसके बाद शिकायतकर्ता का बयान भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया है) जिसमें निम्नांकित बातें भी कही गई हैं—

// कथन—प्रार्थिया //
कु. विनिता एक्का पिता अलेख सियुस, उम्र 30 साल, सा.
रामभाटा संजय मैदान,थाना सिटी कोतवाली,जिला रायगढ़ छ.ग.
————00————

मैं उपरोक्त पते पर रहती हूं शा. प्रा. शाला कुसमुरा में दिनांक 05.08.2008 से सहा. शिक्षक पंचायत के पद पर पदस्थ हूँ। मेरे साथ सौरभ पटेल भी सहा. शिक्षक के पद पर पदस्थ है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पूर्व में हीराधर पटेल सा. जोगीतराई जो वर्तमान में छातामुरा पूर्व मा.शाला में पदस्थ है। हमारे स्कूल में प्रधान पाठक पद पर कार्यरत थे करीब 2 वर्ष हो चुका उनका स्थानांतरण हो चुका है के तुम्हारा रिलेसन है कहकर सौरभ पटेल हमारे विभाग में तथा गांव में भी बदनाम कर चुका है जिसके कारण मेरा सौरभ पटेल के साथ कोई बातचीत नही है। दिनांक 21.11.2014 को 11/30 बजे मै बैंक में स्कूल खाता का पैसा दूसरे खाता में चले जाने के कारण टान्सफर करने हेतु शाखा प्रबंधक केनरा बैंक को आवेदन लिखी थी जिसमें हस्ताक्षर करवाने के लिये एक बच्ची नाम टिकेश्वर सिदार को सौरभ पटेल के पास भेजी तो मैं हस्ताक्षर नही करूंगा कहकर दो बार आवेदन को लौटा दिया चूकि खाता मेरे तथा सौरभ पटेल दोनो के नाम से है मैं सदस्य संयोजक तथा सौरभ पटेल दोनो के नाम से है। मैं सदस्य संयोजक तथा सौरभ पटेल कोषाध्यक्ष है। उसी बात पर मैं आवेदन को लेकर सौरभ को हस्ताक्षर करने के लिये बोली तो सौरभ गाली गुप्तार कर मुझे थप्पड़ से बाये गाल में मारा दोबारा मारना चाहा तो मैं बायें को उपर का बीच बचाव की तो बाये हाथ हथेली और कोहनी को दरवाजा लग जाने से चोट आई घटना को स्कूल बच्चे एवं रसोईया गंगा और दसमती चौहान जो महिला समूह का अध्यक्ष है देखी है तथा स्कूल के बच्चे राधा सिदार देखी है उसके पूर्व भी सौरभ पटेल बात बात से 07.04.2014 तथा 11.03.2014 को मुझसे झगड़ा चाबी गुमने तथा शिक्षक डायरी गुम हो जाने पर झगड़ा कर चुका है, दिनांक 17.11.2014 को सौरभ पटेल बालक प्रा. शाला के सहा. शिक्षक राजकुमार डनसेना के पास बोल रहा था कि आदिवासी लोगों को कुछ नहीं आता है कोटा हिसाब से जॉब मिलता है घटना के दिन मुझे इस बात को नही बोला है। औरत हो तो औरत जैसा रहा करो कहकर सौरभ द्वारा मुझे पूर्व से यह जानता है कि मैं अनुसूचित जनजाति उरांव जाति की महिला जानते हुए मेरे साथ मारपीट गंदा गंदा गाली एवं जान से मारने की धमकी दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26— सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के आलोक में तथा पीड़िता/उत्तरवादी क्रमांक 3 के कथन के आलोक में, मामले के तथ्यों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी क्रमांक 3 दोनों एक ही विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे तथा उनके बीच पूर्व से विवाद होने के कारण वे आपस में बातचीत नहीं करते थे, तथा साथ ही वे एक ही विद्यालय में कार्यरत थे। पीड़िता/उत्तरवादी क्रमांक 3 के कथन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 21.11.2014 को जब विद्यालय को प्राप्त भुगतान किसी अन्य खाते में चला गया था, तब उत्तरवादी क्रमांक 3 ने बैंक के लिए एक आवेदन तैयार किया तथा उसे एक छात्रा टिकेश्वरी सिदार के माध्यम से याचिकाकर्ता को हस्ताक्षर हेतु भेजा, क्योंकि विद्यालय का खाता याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी क्रमांक 3 का संयुक्त खाता था, परन्तु याचिकाकर्ता ने आवेदन अस्वीकार कर दिया तथा उसे विद्यालय के अन्दर ही उत्तरवादी क्रमांक 3 को वापस कर दिया।

27— अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 पर हमला किया/थप्पड़ मारा, जिससे उसे चोट लगी

और यह बात टिकेश्वरी सिदार ने भी देखी है, जिन्होंने अपने बयान में भी यही कहा है, लेकिन उन्होंने आगे कहा है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने याचिकाकर्ता पर स्टील का गिलास भी फेंका है और यही तथ्य यहां मौजूद दासमती चौहान ने भी कहा है। उत्तरवादी क्रमांक 3, दासमती चौहान और टिकेश्वरी सिदार ने एक ही बार में स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 3 के बीच पिछले 2–3 वर्षों से विवाद चल रहा था और कुछ बैंक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के कारण उनके बीच वर्तमान विवाद उत्पन्न हुआ और इसी क्रम में याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 पर हमला किया।

28– इस मामले को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक–3 पर उसे अपमानित करने के इरादे से हमला किया। तथ्य यह है कि दोनों उस विशेष समय में एक ही स्कूल में शिक्षक थे और एक साथ काम कर रहे थे, हालांकि वे बातचीत नहीं करते थे और उत्तरवादी क्रमांक 3 ने टिकेश्वरी सिदार के माध्यम से याचिकाकर्ता को कुछ कागजात हस्ताक्षर करने के लिए भेजे थे, जिस पर हस्ताक्षर करने से याचिकाकर्ता ने इनकार कर दिया और यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 पर हमला किया। यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, शिकायत दिनांक 21.11.2014 और उसके बाद की शिकायत दिनांक 12.12.2014 में भी कहा गया है कि चूंकि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित सदस्य है, इसलिए याचिकाकर्ता ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के नियत से जानबूझकर अपमानित किया है और आगे कुछ नहीं कहा गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जाति पहचान के आधार पर विवाद हुआ है और याचिकाकर्ता ने उक्त तिथि को शिकायतकर्ता पर हमला किया है, जो 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा, और कोई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दस्तावेज पेश नही किया गया है। इसके अलावा, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयान को छोड़कर, कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि घटना स्कूल में सार्वजनिक रूप से हुई है। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने स्वयं कहा है कि उस समय केवल स्कूली बच्चे राधा सिदार, रसोइया गंगा और दासमती चौहान मौजूद थे। दिनांक 21.11.2014 एवं 12.12.2014 की लिखित शिकायतों की विषय—वस्तु तथा सी.आर.पी.सी की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज शिकायतकर्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29— उपर्युक्त कारणों से, याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत अपराध के लिए दायर आपराधिक मामला, आरोप—पत्र तथा तत्पश्चात की कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है तथा **हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में निरस्त की जाती है। हालांकि, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आई.पी.सी की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 323 के अंतर्गत अपराध के लिए आपराधिक मामला जारी रहेगा तथा उसे निरस्त नहीं किया जा रहा है।

30— याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

एस.डी/—
संजय के. अग्रवाल
न्यायाधीश